<u>न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u> (आप.प्रक.कं. :— 361 / 2015)

<u>(संस्थित दिनांक :— 15 / 06 / 2015)</u>

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :— मालनपुर जिला–भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन

// विरूद्ध //

- 01. बेताल सिंह पुत्र अयोध्या प्रसाद जाटव उम्र 46 वर्ष।
- 02. देवेन्द्र सिंह पुत्र बच्चू लाल जाटव उम्र 26 वर्ष।
- 03. दिनेश उर्फ नरेश पुत्र रामप्रकाश जाटव उम्र 33 वर्ष। निवासीगण :— समता नगर मालनपुर, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)

.....अभुयक्तगण

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक : 01/03/2017 को घोषित)

- 01. अभियुक्तगण बेताल, देवेन्द्र एवं दिनेश उर्फ नरेश पर भा.द.सं. की धारा 294, 323/34, 325/34, 336 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :— 17/03/2015 को रात्रि लगभग 10:00 बजे रामज्ञान जाटव के घर के सामने लोढ़ी माता मंदिर के पास समता नगर मालनपुर पर, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी पंकज को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रेम सिंह एवं नीलम की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रेम सिंह की मारपीट कर अस्थिभंग कारित कर घोर स्वेच्छया उपहित एवं नीलम की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहितयाँ कारित की एवं पथराव कर फरियादी/आहतगण का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया, फरियादी पंकज को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 17/03/2015 को रात्रि लगभग 10:00 बजे रामज्ञान जाटव के घर के सामने लोढ़ी माता मंदिर के पास समता नगर मालनपुर पर, आरोपीगण बेताल, देवेन्द्र, दिनेश उर्फ नरेश एवं विधि विरोधी किशोर मुकुल द्वारा फरियादी पंकज से गाली—गलौच करने, प्रेम सिंह एवं नीलम की मारपीट करने, पथराव करने एवं जान से मारने की धमकी देने की लिखित रिपोर्ट फरियादी पंकज द्वारा उसी दिनांक को थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना

मालनपुर में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 40/2015 अन्तर्गत धारा 294, 323, 336 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान आहत प्रेम सिंह के एक्स—रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने से आरोपीगण के विरूद्ध धारा 325 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। घटनास्थल का नक्शा—मौका बनाया गया। आरोपीगण बेताल, देवेन्द्र, दिनेश उर्फ नरेश एवं विधि विरोधी किशोर मुकुल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये गये। आरोपीगण बेताल, देवेन्द्र एवं विधि विरोधी किशोर राजकुमार उर्फ मुकुल से एक—एक लकड़ी की लाठी जब्त कर जब्ती पंचनामे बनाये गये। फरियादी पंकज, आहतगण प्रेम सिंह एवं नीलम तथा साक्षी रामज्ञान के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण बेताल, देवेन्द्र एवं दिनेश उर्फ नरेश के संबंध में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्तगण बेताल, देवेन्द्र एवं दिनेश उर्फ नरेश के विरूद्ध धारा 294, 323/34, 325/34, 336 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहतगण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34, 325/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेत् प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपीगण ने दिनांक :— 17 / 03 / 2015 को रात्रि लगभग 10:00 बजे रामज्ञान जाटव के घर के सामने लोढ़ी माता मंदिर के पास समता नगर मालनपुर पर, पथराव कर फरियादी / आहतगण का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी पंकज अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण बेताल, देवेन्द्र, मुकुल उर्फ राजकुमार एवं दिनेश उर्फ नरेश को जानता है। साक्षी आगे कहता है कि उसका आरोपीगण से शादी के संबंध में मुँहवाद हो गया था, जिस पर आरोपीगण ने उनकी मारपीट कर दी थी। इस संबंध में उसने थाना मालनपुर में लेखी आवेदन प्रस्तुत किया था, जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी.06 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी पंकज अ.सा.02 ने आरोपीगण द्वारा दिनांक :— 17/03/2015 को रात्रि लगभग 10:00 बजे रामज्ञान जाटव के घर के सामने लोढ़ी

माता मंदिर के पास समता नगर मालनपुर पर, पथराव कर उनका वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी पंकज अ.सा.02 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा थाना मालनपुर में दिये गये लेखी आवेदन प्र.पी.04, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 05 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.07 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

- 07. आहतगण नीलम अ.सा.03 एवं साक्षी प्रेम सिंह अ.सा.04 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपीगण द्वारा दिनांक 17/03/15 को रात्रि लगभग 10:00 बजे रामज्ञान जाटव के घर के सामने लोढ़ी माता मंदिर के पास समता नगर मालनपुर पर, पथराव कर उनका वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।
- 08. आरोपीगण एवं फरियादी पंकज, आहत प्रेम सिंह एवं नीलम के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी पंकज अ.सा.02, नीलम अ.सा.03 एवं प्रेम सिंह अ.सा.04 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।
- 09. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपीगण बेताल, देवेन्द्र एवं दिनेश उर्फ नरेश ने दिनांक : 17/03/2015 को रात्रि लगभग 10:00 बजे रामज्ञान जाटव के घर के सामने लोढ़ी माता मंदिर के पास समता नगर मालनपुर पर, पथराव कर फरियादी/आहतगण का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया।
- 10. अभियोजन आरोपीगण बेताल, देवेन्द्र एवं दिनेश उर्फ नरेश के विरूद्ध धारा 336 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण बेताल, देवेन्द्र एवं दिनेश उर्फ नरेश को धारा 336 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 11. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 12. प्रकरण में आरोपीगण बेताल एवं देवेन्द्र से जब्तशुदा लाठी मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद